FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

Land Ceiling Case No.- 97/1990-91

Dilip Kumar Gupta & Ors. .....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.8.2025	**आदेश** यह वाद इस न्यायालय के Land Ceiling Case No. 97/1990-91 में दिनांक-11.11.2006 तथा Miscellaneous Petition No.-15/2006-07 में दिनांक-07.2.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC Case No.-6020/2007 में दिनांक-22.7.2016 को पारित आदेश के आलोक में पुनः दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-31.7.2025 को उभय पक्ष एवं विद्वान AGP के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षीगण की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Land Ceiling Case No -68/73-74 की कार्रवाई के आलोक में प्रश्नगत जमीन (मौजा-काझी हृदयनगर, थाना नं0-52, खाता सं0-461, खेसरा-2870, रकवा-0.35 एकड़, खेसरा-2871, रकवा-1.75 1/2 एकड़) को Ceiling Surplus Land के रूप में अधिसूचित किया गया। इस वाद के Petitioner तथा Private Respondent का कहना है कि उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष-1956 में Sale deed के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय भूधारी त्रिभुवन प्रसाद सिंह के वास्ते अंबिकानंद दास से क्रय किया गया एवं तदनुसार इनके द्वारा प्रश्नगत जमीन को Ceiling Surplus से मुक्त करते हुए करने का दावा किया गया। LCR तथा अपीलाधीन आदेश के अवलोकनोपरान्त यह स्थापित होता है कि Land Ceiling Case No -68/73-74 में सभी वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई किया गया है। निम्न न्यायालय-समाहर्त्ता पूर्णिया के अपीलाधीन आदेश (18.9.1990) में अंकित है कि "The Petitioners have approached this court to exclude the lands of plot no-2870 and 2871, Khata no- 461, Total area 4.21 acres of Mouza Kajhi Hridaynagar from the lands of the landholder. Their contention is that they purchased these lands from Tribhuwan Pd. Singh through Ambikanand Das, holder of power of attorney and after that they came in khas cultivating possession or the lands in question. They have filed the certified copy of the said kewala and photocopies of rent receipts. From the perusal of the record of lower court it appears that the petitioners had appeared before the lower court in the enquiry u/s 5(i) (iii) and their claim was not accepted by the learned lower court vide order dated-20.12.84. Once their case has been rejected, it was open to the petitioners to prefer the appeal which they have failed to do so. The petitioners cannot claim the relief u/s 45B of the Act. Even petitioners have not filed the original kewala. They have also not got their names mutated in the revenue records and even in 1971-72 the receipt is in the name of Tribhuwan Pd. Singh. Therefore, there is no merit in the claim or the petitioners and it is rejected. The stay order passed on 31.7.90 stands automatically vacated.	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	08.8.2025	निम्न न्यायालय के स्तर से Petitioner के दावे के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की पूरी विवेचना करते हुए समुचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। सुनवाई में Petitioner/Private Respondent की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित तथ्यों एवं वैधानिक Findings को Negate करने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि उक्त सिलिंग केस की कार्रवाई में निर्धारित Cut off date को विधिमान्य रूप से प्रश्नगत जमीन पर उनका Legal Title था। निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, पूर्णिया) का अपीलाधीन आदेश (18.9.1990) विधि सम्मत है। अतः तदनुसार इस वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Rajesh K. 08/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 08/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	